

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता मुमताज पुत्र हबीबुल्लाह निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 351/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 ली0अवैध नौसादर यूरिया अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता शम्भू पुत्र रामसियारे निवासी चिरैयाड़ाड थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 352 / 2020 धारा 272 भा0द0वि0 व धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वारण्टी

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1- राकेश पुत्र दुःखहरन 2- रशीम अली पुत्र साबित ली निवासीगण बरपरवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत खरचा से इवेन्ट संख्या 00794 से मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल समय से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से प्रा0 स्व0 केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 दिनेश प्रसाद, हो0चा0 खरचा।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 32 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 10 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 09 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 54 वाहनो से 55300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 14-09-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 54 वाहनो से 55300 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।